FIRST INDIA

13 August 2025

Bihar SIR row: Supreme Court backs EC, saying...

'Aadhaar not valid proof of citizenship'

First India Bureau

New Delhi

The Supreme Court on Tuesday endorsed the ECI's stance that Aadhaar cannot be treated as conclusive proof of citizenship, stressing that it must be independently verified.

A bench led by Justice Surya Kant made the observation during a hearing on petitions challenging the Special Summary Revision (SIR) of electoral rolls in Bihar. "The EC is correct in saying Aadhaar cannot be accepted as conclusive proof of citizenship. It has to be verified," Justice Kant told senior advocate Kapil Sibal, appearing for petitioners. "If they don't have the power, everything ends. But if they have the power, there can't be a problem," Justice Kant said.

Top Court observed that the situation over revision of electoral rolls is largely due 'trust deficit' between Election Commission and the Opposition

SC RELIEF FOR OWNERS OF 10-YR OLD VEHICLES

The SC on Tuesday ordered protection from coercive action for owners of diesel vehicles over 10 years old and petrol vehicles over 15 years old in Delhi-NCR. Top Court passed interim order after Solicitor General Tushar Mehta, representing Delhi government, sought relief.

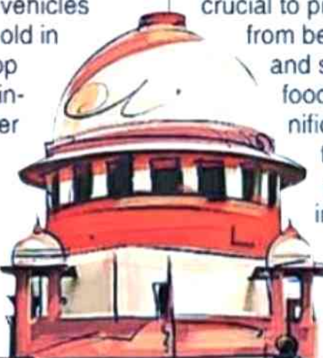

SC CIRCULAR ON STRAY DOGS INSIDE PREMISES

"All leftover food items must be disposed of exclusively in properly covered dustbins. This measure is crucial to prevent animals from being attracted to and scavenging for food, thereby significantly reducing the risk of bites and maintaining hygiene standards," SC isssued circular on Tuesday.

SIR is largely a trust deficit issue, says SC

Press Trust of India
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Supreme Court on Tuesday called the Bihar special intensive revision (SIR) row "largely a trust deficit issue" as the Election Commission of India (ECI) claimed roughly 65 million people of the total 79 million voting population didn't have to file any documents for they or their parents featured in the 2003 electoral roll.

The top court is hearing a batch of pleas against the Election Commission electoral roll revision exercise in Bihar.

A bench of Justices Surya Kant and Joymalya Bagchi during the hearing remarked it "largely appears to be a case of trust deficit, nothing else".

"If out of 7.9 crore voters, 7.24 crore voters responded to the SIR, it demolishes theory of one crore voters missing or disenfranchised," the bench told senior advocate Kapil Sibal, appearing for petitioner and RJD leader Manoj Jha.

The top court also agreed with the EC decision to not accept Aadhaar and voter cards as conclusive proof of citizenship in the ongoing exercise and said it has to be supported by other documents.

Sibal contended that despite residents holding Aadhaar, ration and EPIC cards, officials refused to accept the documents.

The hearing would resume on Wednesday.

EC: Objections from parties not in correct format

Election Commission (EC) Tuesday said objections filed by opposition parties could not be processed under the formal "claims and objections" mechanism as they were sent "in bulk" rather than individually, as required under the prescribed procedure, **reports Manoj Chaurasia**. These are being treated as general complaints and verified accordingly, it said.

▶**EC summons Bengal chief secy over inaction, INSIDE FLAP**

The clarification came after INDIA bloc parties accused EC of "doing politics" and attempting to set a "narrative" that no political party had submitted complaints about the draft voter roll published on Aug 1. **INSIDE FLAP**

Those in '03 Bihar rolls, their kids don't need any docu: EC

We'll Step In If Any Irregularities Found In SIR, Says SC

Dhananjay.Mahapatra
@timesofindia.com

New Delhi: The Election Commission told Supreme Court on Tuesday that those whose names were part of the 2003 Bihar voters' list would not be required to submit anything and that their children too would be included in the latest list once they prove their relationship.

The statement is significant in the context of the charge that the special intensive revision (SIR) of electoral rolls being carried out in Bihar would lead to mass exclusion of voters. The last SIR in the state was carried out in 2003.

The bench of Justices Surya Kant and Joymalya Bagchi said revision of electoral rolls is aimed at weeding out dubious and bogus voters. "Simply someone is saying on affidavit that he is an Indian and a resident of Bihar, without producing any documentary proof, would he be entitled to be included in the voter list," it remarked, but added that it would step in to take remedial measures if irregularities are found.

Countering allegations of mass exclusion and illegalities in SIR, EC through senior advocate Rakesh Dwivedi told the bench that 6.5 crore voters do not have to file anything.

Photo: ANI

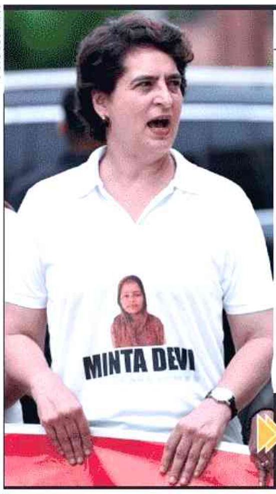

'EC MADE ME A GRANDMA'

"I'm thrilled. Finally, at 35, I may get a chance to vote. If EC has made me a grandma in the process, it is fine... I had stated my year of birth as 1990, same as Aadhaar... I can't help it if in draft rolls 1990 has been made 1900
—Minta Devi, '124-yr-old' Patna voter

Application was obtained from Minta Devi on Aug 10...for rectifying the error... will be dealt with in claims & objections phase **—Siwan collectorate**

Cong MP Priyanka Gandhi Vadra at an INDIA bloc protest against alleged voter fraud and SIR on Parliament premises

▶ 2024 mandate was stolen from Cong: Rahul, INSIDE FLAP

▶ Not vote, but 'attention chori', says BJP, INSIDE FLAP

▶ Related report, P 13

Not for poll panel to determine who is citizen, says Singhvi

▶ Continued from P 1

Dwivedi said booth-wise details of those dead (approximately 22 lakh) and permanently migrated (approximately 36 lakh) had been given to booth-level agents of political parties and not a single complaint of irregularity had been received.

Dwivedi said the 2003 list had 4.9 crore voters and of the present 7.9 crore voters, 7.24 crore had submitted their enumeration forms.

For petitioners, senior advocate Kapil Sibal and A M Singhvi found their space to argue shrink due to intense competition from other senior advocates who put across points that seemingly substantiated their allegations — the SIR process is illegal from inception as it was not authorised by law, the procedure adopted was exclusionary when it should have been inclusive, and that EC had no authority to debar anyone on the ground that he was not an Indian citizen despite having an Aadhaar card. The bench, however, said Aadhaar card did not prove nationality.

Sibal and Singhvi said majority of Bihar's residents faced the wrath of floods and had no access to documents. Moreover, to delete a voter's name from the list, a lengthy procedure had to be followed by the electoral registration officer. Elections in the state are due in Oct, so where is the time to do all this, the counsel asked.

Singhvi said EC was not the institu-

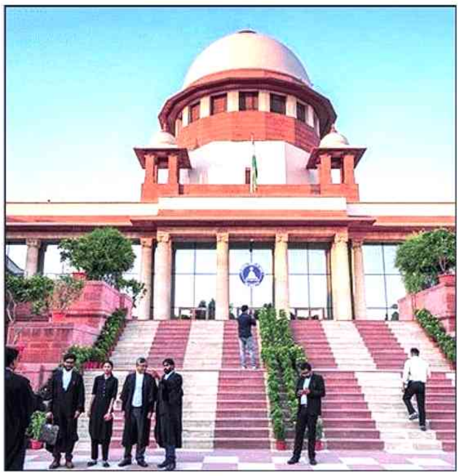

Those who aren't Indian citizens must be excluded from the electoral rolls, said SC

was an Indian and who was not while preparing the voters' list.

Drawing a line, however, the bench said, "One who is an Indian citizen must be included but those who are not must be excluded."

Activist-academic Yogendra Yadav, who is one of the petitioners, argued with graphics that Bihar has around 8.2 crore adult voters and EC should endeavour to include all of them in the voters' list. But from the manner in which EC is going ahead, it appears that more than 1 crore voters would be left out, he claimed, and produced two persons from Raghopur constituency — won by RJD chief Lalu Prasad twice and his wife Rabri Devi thrice — whose

Sibal and Singhvi said majority of Bihar's residents faced the wrath of floods and had no access to documents. Moreover, to delete a voter's name from the list, a lengthy procedure had to be followed by the electoral registration officer

names have been deleted from the draft voter list by declaring them as dead.

Dwivedi said this drama was good for TV studios but not in courtrooms. Instead of bringing them to the courtroom, Yadav, who is computer savvy, could have uploaded their details on the website to get their names included in the voter list. "Instead of creating obstacles and hindrances, if the petitioners could help the EC in completing the exercise, the voter list would be prepared smoothly," he said.

Justice Bagchi told Yadav: "The two persons you showed may be errors which can be corrected through the standard operating procedure provided for SIR." However, the bench complimented Yadav for a good analysis and quality assistance.

Arguments will continue on Wednesday.

2024 mandate stolen from Cong: Rahul

Times News Network

New Delhi: Rahul Gandhi on Tuesday told Congress that the "2024 mandate" was stolen from it, as the party finalised a three-stage campaign over two months to intensify its protest against "vote chori", starting with a nationwide torchlight march on the eve of Independence Day.

At a meeting of Congress office bearers chaired by party chief Mallikarjun Kharge, Rahul is said to have remarked that the Lok Sabha election results would have gone in favour of Congress but the party was robbed of it. He is said to have mentioned that Congress lost over 40 seats owing to voter list manipulation like his "expose" on the Mahadevapura assembly constituency in Bangalore Central LS seat.

Sources said Congress was doing voter list analyses in many more seats.

Rahul alluded to the possibility of more revelations, when he urged patience and told reporters, "picture abhi baaki hai". "There is not just one seat (where there is 'vote chori') but a number of seats. This is being done at a national level and systematically. EC knows it and we know it too," Rahul said.

Congress will take out a "mashaal march" at every district headquarters on the night of Aug 14 targeting BJP over "manipulation of voters lists". It will then hold rallies in all state capitals between Aug 22-Sept 7. From Sept 15-Oct 15, the party will run a massive signature campaign to "save the right to vote" and to "serve as a referendum against BJP's destruction of democracy". All three programmes will be titled "vote chor, gaddi chhod".

EC summons Bengal chief secy over inaction

Kolkata: EC on Tuesday summoned Bengal chief secretary Manoj Pant to New Delhi by 5pm Wednesday to explain in person why no action was taken against four state officials and a contractual data entry operator accused of failing to prevent bogus voter entries in two assembly segments, reports **Debashis Konar**.

EC had ordered suspension of all five, FIRs naming them, and initiation of disciplinary proceedings, setting a Monday 3pm deadline for an action-taken report. Pant's reply said an inquiry was underway, one official had been removed from poll duty, and the contractual employee taken off election work.

The accused — posted in Baruipur East and Moyna constituencies — allegedly failed to prevent inclusion of 108 fake voters. Investigators are probing whether the officials shared passwords with subordinates, enabling the entries.

CM Mamata Banerjee has publicly said she will not suspend the officials or be "intimidated" by EC. Sources said Pant may tell EC that hasty suspensions, especially of two Bengal civil service cadre officials, would demoralise state employees.

In an earlier letter, Pant argued that proceeding against officials "who have continuously demonstrated sincerity and competence" before an inquiry would be "disproportionately harsh". He also said their wide-ranging govt duties may have led them to delegate functions "in good faith" to subordinates.

Oppn didn't file SIR claims in right format: Poll panel

Clarifies After INDIA Bloc Protests 'False Narrative'

Manoj.Chaurasia
@timesofindia.com

Patna: Election Commission on Tuesday defended its handling of Bihar's SIR of electoral rolls, claiming that the objections from opposition parties could not be processed under the formal "claims and objections" mechanism as they were sent "in bulk" rather than individually, as required under prescribed procedure.

EC, however, added that such submissions were being treated as general compla-ints and verified accordingly.

The clarification came after INDIA bloc parties accused EC of "doing politics" and attempting to set a "narrative" that no political party had submitted complaints about the draft voter roll published on Aug 1.

The EC's bulletin reiterated that no "claims or objections" had been filed by any of the 12 recognised national and state parties in the 11 days since publication. However, it confirmed receiving 13,970 claims and objections directly from individual voters, 341 of which have already been disposed of.

RJD's Tejashwi Yadav said the bloc was not questioning SIR but the manner in which it was carried out. "There could be no bigger crime than an elector missing the chance to cast their vote," he said. He accused BJP of misusing the poll panel to achieve "what it has failed to do itself."

Congress neta in Bihar assembly, Shakeel Ahmad Khan, alleged "an uncountable number" of claims and objections had been sent to EC. He said Rahul Gandhi's request for an appointment to present proof of "vote chori" was declined. CPI-ML state secretary Kunal alleged that EC was "trying to set a narrative" that nothing was wrong with the poll rolls.

Sonia Gandhi and opposition MPs at the protest against SIR Tuesday

'चुनाव आयोग द्वारा आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं मानना सही कदम'

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण मुद्दे पर बहस के दौरान टिप्पणी की

- **बुधवार को पुनः इस मामले की सुनवाई होगी।**

नयी दिल्ली, 12 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने बिहार की मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण विवाद मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग का आधार कार्ड को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं मानना सही है।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ इस दलील से भी सहमत नहीं थी कि बिहार के लोगों के पास विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग की ओर से प्रमाण के रूप में मांगे गए अधिकांश दस्तावेज नहीं थे।

शीर्ष अदालत के समक्ष दोनों पक्षों की ओर से विस्तार पूर्वक दलीलें पेश की गईं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण ने विस्तार पूर्वक दलीलें पेश कीं।

याचिकाकर्ताओं में शामिल स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने ग्राफिक्स के जरिए खुद ही अपना पक्ष रखा। चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने दलीलें दीं।

अदालत के समक्ष चुनाव आयोग ने दावा किया कि कुल 7.9 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 6.5 करोड़ लोगों को कोई दस्तावेज दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ी। वजह यह कि उनका या उनके माता-पिता के नाम 2003 की मतदाता सूची में मौजूद थे।

पीठ ने आयोग की ओर से पेश इन दलीलों पर याचिकाकर्ता और राष्ट्रीय जनता दल सांसद नेता मनोज झा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल से पूछा, अगर 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ मतदाताओं ने विशेष निरीक्षण का जवाब दिया है, तो यह आंकड़ा एक करोड़ मतदाताओं के लापता या उनके मताधिकार से वंचित होने की दलील खारिज कर देता है।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया कि चुनाव आयोग के 24 जून के विशेष पुनरीक्षण कराने के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इससे एक करोड़ मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो जाएँगे।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने इस दलील दी कि निवासियों के पास आधार, राशन और वोटर कार्ड होने के बावजूद अधिकारियों ने उनके दस्तावेज स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

सिब्बल ने कहा कि लोगों को अपने माता-पिता के जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज खोजने में कठिनाई हो रही है।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने की समय-सीमा के साथ-साथ उन 65 लाख मतदाताओं के आंकड़ों पर सवाल उठाया, जिन्हें मृत या अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत घोषित कर दिया गया है।

स्वराज इंडिया के नेता यादव ने चुनाव आयोग पेश आंकड़ों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 7.9 करोड़ मतदाताओं के बजाय कुल वयस्क आबादी 8.18 करोड़ थी और पुनरीक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाताओं को हटाना था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाया जिसका नाम जोड़ा गया हो। शीर्ष अदालत में इस मामले में बुधवार को भी सुनवाई होगी।

पंजाब केसरी
WED,13 AUGUST 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 1

संसद में एसआईआर पर चर्चा नहीं होने दे रही सरकार : खरगे

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को दावा किया कि सरकार एसआईआर के मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं होने दे रही है, जो संविधान के विरूद्ध है। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर बाद तीन बजे जब उच्च सदन की बैठक शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष खरगे ने आसन की अनुमति से व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि सभी विपक्षी दलों के सदस्य मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मुद्दा उठाना चाहते हैं। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। यदि संसद एवं लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो इस विषय पर आसन को चर्चा की अनुमति देनी चाहिए।

पंजाब केसरी
WED,13 AUGUST 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 1

'वोट चोरी' पर बोले राहुल, अभी पिक्चर बाकी है

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने 'वोट चोरी' के आरोपों को दोहराया

नई दिल्ली, 12 अगस्त (एजेंसी) : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग पर 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत को लागू करने का अपना कर्तव्य नहीं निभाने का आरोप लगाया और मतदाता सूची में अनियमितताओं के दावों का हवाला देते हुए कहा, 'अभी पिक्चर बाकी है।'

राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी संविधान की रक्षा कर रही है और ऐसा करती रहेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, 'यह सिर्फ एक सीट की बात नहीं है (जहां 'वोट चोरी' हो रही है), बल्कि कई सीटों की बात है। यह राष्ट्रीय स्तर पर और व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। चुनाव आयोग जानता है और हम भी जानते हैं।' उन्होंने कहा, 'पहले सबूत नहीं था, लेकिन अब है। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। 'एक व्यक्ति, एक वोट' संविधान की नींव है और इसे लागू करना चुनाव आयोग का कर्तव्य है और उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इसलिए हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम रुकेंगे नहीं।' बिहार की मतदाता सूची में कथित तौर पर दर्ज 124 वर्षीय मिंता देवी के बारे

में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा, 'ऐसे अनगिनत मामले हैं। अभी पिक्चर बाकी है।' कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें पते और रिश्तेदारों आदि के नाम फर्जी हैं।

'वोट चोरी' से जुड़े वीडियो में अभिनय से मेनन का इनकार

मेरी अनुमति के बिना किया वीडियो क्लिप का इस्तेमाल : केके मेनन

कांग्रेस ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है वीडियो

नई दिल्ली, 12 अगस्त (एजेंसी) : अभिनेता केके मेनन ने कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किए गए 'वोट चोरी' अभियान से जुड़े वीडियो से खुद को अलग कर लिया है।

पार्टी ने अपने 'इंस्टाग्राम पेज' पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसकी शुरुआत मेनन की जासूसी ड्रामा सीरीज 'स्पेशल ऑप्स' में उनके किरदार हिम्मत सिंह से होती है। वीडियो में अभिनेता कहते हैं, 'रुको रुको यार। स्क्रॉल करना बंद करो। अगर आप ये रील देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है ?' वीडियो के बाकी हिस्सों में एक व्यक्ति लोगों से अपनी आवाज उठाने और 'वोट चोरी' के खिलाफ अभियान में भाग लेने का आग्रह करता है। पार्टी ने निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर के खिलाफ अभियान शुरू किया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा था, 'हिम्मत सिंह कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कर आओ... अभियान से जुड़ने के लिए।'. मेनन ने वीडियो पर एक टिप्पणी पोस्ट की जिसमें स्पष्ट किया गया कि वीडियो में इस्तेमाल की गई क्लिप उनके द्वारा 'स्पेशल ऑप्स' के लिए शूट किए गए प्रचार संबंधी वीडियो का हिस्सा है। मेनन ने लिखा, 'मैंने इस विज्ञापन में अभिनय नहीं किया है। मेरे 'स्पेशल ऑप्स' के प्रचार से जुड़े वीडियो की एक क्लिप बिना अनुमति के उपयोग किया गया है।'

पंजाब केसरी
WED,13 AUGUST 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 12

आयकर और कराधान संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी

राज्यसभा में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने किया बहिर्गमन

नई दिल्ली, 12 अगस्त (एजेंसी) : संसद ने मंगलवार को देश में कराधान क्षेत्र से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयकों आयकर विधेयक, 2025 और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। वहीं सरकार ने कहा कि इससे देश में कराधान संबंधित नियमों को सरल बनाने में काफी मदद मिलेगी। राज्यसभा ने इन दोनों विधेयकों पर हुई संयुक्त चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद इन विधेयकों को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में इन दोनों विधेयकों के पारित होने के समय कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद नहीं थे।

खेल प्रशासन में सुधार से जुड़े दो विधेयक चर्चा करने एवं पारित करने के लिए राज्यसभा में पेश किए जाने के तुरंत बाद विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर हंगामा किया और सदन से बहिर्गमन कर गए। दो बार के स्थगन के बाद अपराह्न तीन बजे सदन की बैठक शुरू होने पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक विचार करने एवं पारित करने के लिए पेश किए।

नई दिल्ली : *विरोध प्रदर्शन करतीं प्रियंका गांधी वाड्रा और विपक्ष की महिला सांसद।*

लोकसभा में विपक्ष की नारेबाजी के बीच दो विधेयक पारित

नई दिल्ली : लोकसभा में मंगलवार को एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच दो विधेयक पारित किए गए और सदन की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया, वहीं विपक्षी सदस्य एसआईआर को लेकर नारेबाजी करने लगे। अपराह्न तीन बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने 3:25 बजे कार्यवाही शाम साढ़े चार बजे तक स्थगित कर दी। 'खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025' पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया और पीठासीन सभापति से आग्रह किया कि इसे सदन की प्रवर समिति को भेजा जाए।

एसआईआर के मुद्दे पर फिर विपक्ष का प्रदर्शन

'I.N.D.I.A.' गठबंधन के कई सांसदों ने मंगलवार को फिर संसद परिसर में बिहार में निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई सांसदों ने सफेद टी-शर्ट पहन रखी थी जिस पर '124 वर्षीय मतदाता' का नाम लिखा था जो कथित तौर पर राज्य की मतदाता सूची में दर्ज पाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, टीएमसी सांसद डेरेक ओ' ब्रायन, द्रमुक के टीआर बालू सहित अन्य सांसद विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

पंजाब केसरी
WED, 13 AUGUST 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 10

मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण : चोर मचाए शोर!

कांग्रेस के राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के उनके सहयोगियों का मानना है कि निर्वाचन आयोग पर कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगाकर तथा बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण के रूप में उन्हें एक चुनावी जैकपॉट मिल गया है। कांग्रेस के विपक्ष के नेता ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया है कि वह पिछले वर्ष लोकसभा चुनावों में भाजपा द्वारा वोटों की हेराफेरी और महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों में मैच फिक्सिंग के सबूत छिपा रहा है और इस तरह वोटों की चोरी में भाजपा के साथ सांठगांठ कर रहा है।

उन्होंने दावा किया कि उनके पास निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड के दस्तावेज हैं और आरोप लगाया कि एक निर्वाचन अधिकारी के द्वारा बताए गए आंकड़ों के आधार पर एक मतदाता ने 2 बार मतदान किया। उन्होंने कहा कि हमें कर्नाटक में 16 लोकसभा सीटें जीतने की उम्मीद थी किंतु हम केवल 9 जीत पाए और एक सीट महादेवपुरा में 1 लाख 250 वोटों की चोरी हुई।

बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण के संबंध में उन्होंने आरोप लगाया कि 11965 डुप्लीकेट मतदाता हैं, 40009 मतदाताओं के फर्जी या अवैध पते हैं और हजारों अन्य मतदाताओं को गलत ढंग से पंजीकृत किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग मशीन रीडेबल मतदाता सूची को सांझा करने के अनुरोध पर विचार नहीं कर रहा।

राहुल गांधी से सहमति दर्शाते हुए राकांपा सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि मेरे पास एक व्यक्ति आया, जिसने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में 160 सीटें जिताने की गारंटी दी थी। मैंने राहुल गांधी को यह बात बताई तो उन्होंने इंकार कर दिया और कहा कि हम वैध ढंग से चुनाव लड़ेंगे। राहुल ने कहा कि हमारे गठबंधन ने महाराष्ट्र में सीटें जीतीं किंतु 4 माह बाद भाजपा विधानसभा चुनाव जीत गई। एक करोड़ मतदाताओं ने विधानसभा चुनावों में मतदान किया किंतु लोकसभा चुनावों में नहीं। जहां कहीं नए मतदाताओं ने मतदान किया, वहां भाजपा जीती।

इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा कि राहुल गांधी के पास अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए औपचारिक घोषणा प्रस्तुत करने या देश से माफी मांगने के लिए समय है क्योंकि मतदाता ने स्वयं 2 बार मतदान करने की बात से इंकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने जो टिक मार्क वाला दस्तावेज प्रस्तुत किया है, वह मतदान अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया और यह उनके दावे की प्रमाणिकता के बारे में प्रश्न उठाता है। उन्हें

पूनम आई. कौशिश

मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 20 (3) (बी) के अंतर्गत शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने चाहिएं।

मतदाता पंजीकरण अधिनियम 1960 के नियम 20 में प्रावधान है कि पंजीकरण अधिकारी प्रत्येक दावे और प्राप्त आपत्तियों की जांच करेगा और उस संबंध में साक्ष्य शपथ पत्र देना होगा। किंतु लोकसभा के पूर्व महासचिव आचार्य का कहना है कि नियम 20 राहुल पर लागू नहीं होता, क्योंकि इसमें प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद मतदाता सूची में नाम शामिल करने के दावे और आपत्तियां नियम 12 के अधीन 30 दिन के भीतर दर्ज की जा सकती हैं। मतदाता सूची को अंतिम रूप देने और चुनाव होने के बाद निर्वाचन आयोग राहुल गांधी को शपथ पत्र देने के लिए नहीं कह सकता।

इस तू-तू, मैं-मैं के बीच कांग्रेस शासित कर्नाटक के मंत्री रजन्ना ने अपनी ही पार्टी पर एक बड]ा बम फैंक दिया है। उन्होंने कहा कि हमें शर्म आनी चाहिए क्योंकि अनियमितताएं हमारी आंखों के सामने हुईं, जब हम सत्ता में थे और उस समय हर कोई आंख मूंदे चुप बैठा हुआ था।

निश्चित रूप से राहुल द्वारा मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों की जांच की जानी चाहिए और इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिएं। किंतु इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं, केवल राजनीतिक षड्यंत्र की बातें की जाती हैं कि मतदाता सूची में सारी गड़बड़ी भाजपा को लाभ देने के लिए की गई है। इसकी बजाय कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए क्योंकि वह निरंतर पतन की ओर जा रही है।

मतदाता सूची को पारदर्शी ढंग से बनाना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और एक सुदृढ़ जीवंत लोकतंत्र का आधार है। 100 करोड़ से अधिक मतदाताओं वाले देश में मतदाता सूची बनाना और उसका प्रबंधन करना आसान कार्य नहीं है। इसके लिए आम लोगों को गलत ढंग से मतदाता सूची से अलग करने और कठिन विकल्पों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है।

नि:संदेह निर्वाचन आयोग ने उत्कृष्ट ढंग से चुनाव कराए हैं और सुनिश्चित किया है कि चुनावी प्रक्रिया बेदाग तथा राजनीति से ऊपर रहे। विविधता भरे देश में इसकी सफलता से विश्व के अनेक लोकतंत्र प्रभावित हुए हैं और वे भारत के निर्वाचन आयोग के अनुभव से सीखना चाहते हैं। निर्वाचन आयोग को संस्थागत प्रतिष्ठा और अपनी विरासत की रक्षा के लिए अपनी आवाज को सुदृढ़ करना होगा।

मतदाता सूची के बारे में सूचना सांझी करने के संबंध में राजनीतिक दलों के साथ और सहयोग किया जाए और ये सब कार्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अंतर्गत रहे। संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को निर्वाचन की निगरानी और अनुच्छेद 326 निर्देश देता है कि मताधिकारवयस्क भारतीय नागरिकों तक सीमित रहे तथा मतदाता सूची को अद्यतन बनाने के लिए मतदाता पंजीकरण नियम 1907 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में प्रावधान है।

भावी चुनावों के बारे में निर्वाचन आयोग को और सजग रहना होगा। फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने के लिए एक शुरुआत कर दी गई है। यह सच है कि आप निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता पर सवाल उठा सकते हैं किंतु आपके पास तर्क सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए और आपको तथ्यों पर निर्भर रहना चाहिए। भारत में चुनावों को ईमानदारी से स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त बनाने के लिए हमें अभी एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा।

कुल मिलाकर यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन चुनाव जीतता है। हमारे राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को घेरकर क्या हम अराजकता की ओर नहीं बढ़ रहे। समय आ गया है कि हम इन बातों पर ध्यान दें और उचित तथा साहसिक निर्णय लें क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का सार है।

pk@infapublications.com

पंजाब केसरी
WED,13 AUGUST 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 1

SIR : आधार निर्णायक नहीं

विश्वास की कमी का प्रतीत हो रहा है मामला : न्यायालय

नई दिल्ली, 12 अगस्त (एजैंसी): उच्चतम न्यायालय ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े विवाद को 'मोटे तौर पर विश्वास की कमी का मुद्दा' बताया, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने दावा किया कि कुल 7.9 करोड़ मतदाताओं में से करीब 6.5 करोड़ लोगों को कोई दस्तावेज दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे या उनके माता-पिता 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे। शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग के इस निर्णय से सहमति जताई कि आधार और मतदाता पहचान पत्र को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

शीर्ष अदालत बिहार में निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं से सवाल करते हुए टिप्पणी की कि यह 'काफी हद तक विश्वास की कमी का मामला प्रतीत होता है, (शेष पृष्ठ 13 कालम 1 पर)

मतदाता सूची में किसी को शामिल या बाहर करना आयोग का अधिकार

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मतदाता सूची में नागरिकों एवं गैर-नागरिकों को शामिल करना या बाहर करना निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं से तीखे सवाल पूछे और कहा कि किसी जीवित व्यक्ति को मृत या मृत व्यक्ति को जीवित घोषित करने में, अनजाने में हुई किसी भी त्रुटि को सुधारा जा सकता है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा, 'नागरिकता देने या छीनने का कानून संसद द्वारा पारित किया जाता है, लेकिन नागरिकों और गैर-नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और बाहर करना निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है।' पीठ ने सिंघवी से कहा, 'निर्वाचन आयोग का यह कहना सही है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसे सत्यापित करना होगा। आधार अधिनियम की धारा नौ में स्पष्ट रूप से ऐसा कहा गया है।' वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि 2003 और 2025 के बीच 22 वर्ष की अवधि में कई लोगों ने पांच से छह चुनावों में मतदान किया (शेष पृष्ठ 13 कालम 2 पर)

केवल बिहार में रहने से मान लें मतदाता

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि निवासियों के पास आधार, राशन और मतदाता पहचान पत्र होने के बावजूद, अधिकारियों ने दस्तावेज स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, 'क्या आपकी दलील यह है कि जिन लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन वे बिहार में हैं, इसलिए उन्हें राज्य का मतदाता माना जाना चाहिए? इसकी अनुमति दी जा सकती है। उन्हें कुछ दस्तावेज दिखाने या जमा करने होंगे।'

यह बहुत ही चलताऊ बयान है

कपिल सिब्बल ने कहा कि लोगों को अपने माता-पिता के जन्म प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज खोजने में कठिनाई हो रही है, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, 'यह बहुत ही चलताऊ बयान है कि बिहार में किसी के पास दस्तावेज नहीं हैं। अगर बिहार में ऐसा होता है, तो देश के अन्य हिस्सों में क्या होगा?'

दैनिक नवज्योति
jaipur city - 13 Aug 2025 - Page 12

मतदाता सूची में हेरफेर के मामले को जनता में ले जाएगी कांग्रेस

पार्टी के प्रदेश प्रभारियों की बैठक में हुई चर्चा

ब्यूरो/नवज्योति/नई दिल्ली। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस कथित रुप से मतदाता सूची में हेरफेर और चुनावी धोखाधड़ी के मामले को आम जनता में ले जाएगी। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इन दोनों ही मामलों पर चुनाव आयोग एवं केन्द्रसरकार को हालिया दिनों में घेरा है।

मंगलवार को यहां एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कथित मतदाता सूची में हेराफेरी और चुनावी धोखाधड़ी के खिलाफ एक देशव्यापी अभियान पर विस्तार से चर्चा के लिए पार्टी महासचिवों, राज्य प्रभारियों और अग्रिम संगठनों के प्रमुखों की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। जिसमें खरगे के अलावा, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, कोषाध्यक्ष अजय माकन, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, राजस्थान के प्रभारी महासचिव एसएस रंधावा, छत्तीसगढ़ के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट समेत अन्य पार्टी नेताओं ने भाग लिया।

बैठक के दौरान चर्चा हुई कि संसद में एवं उसके बाहर पार्टी द्वारा उठाए गए कथित वोट चोरी के मुद्दे को ज़मीनी स्तर पर नीचे तक कैसे ले जाया जाए। इसे हर जिले एवं हर ग्राम पंचायत तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। चर्चा के दौरान सभी नेताओं ने अपने सुझाव दिए। बाद में, बकौल सचिन पायलट पार्टी को संदेह है कि मतदाता सूची में विसंगतियां हैं और वोट चोरी हुई है। वहीं, एसएस रंधावा ने कहा कि पहले मतदाता सरकार चुनते थे। अब सरकार ने मतदाताओं को चुनना शुरू कर दिया है।

दैनिक नवज्योति jaipur city - 13 Aug 2025 - Page 16

निर्वाचन आयोग: प्रदेश के 18 और रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल सूची से होंगे बाहर

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। निर्वाचन आयोग की सूची में शामिल ऐसे राजनीतिक दलों को सूची से बाहर करने की कार्रवाई शुरू की गई है, जिन्होंने पिछले छह साल से कोई चुनाव नहीं लड़ा है। राजस्थान में ऐसे 18 रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर यह कवायद की जा रही है। निर्वाचन आयोग ने इन दलों की सूचना सार्वजनिक कर दी है और इन दलों को अपना पक्ष रखने के लिए सूचना दी जा रही है। निर्वाचन आयोग के इस अभियान में पहले चरण में देशभर में 334 राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया गया, जिनमें राजस्थान के 9 राजनीतिक दल शामिल थे। अभियान के दूसरे चरण में 476 दलों की पहचान की गई है, जिनमें राजस्थान के 18 राजनीतिक दल शामिल हैं। इन दलों को सूची से बाहर करने से पहले उस राज्य के संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने सुनवाई के मौका दिया जाएगा।

इन 18 पार्टियों को सुनवाई का मौका: अखंड समता पार्टी, अवामी आमजन पार्टी, भारत नव निर्माण पार्टी, भारतीय हिन्दू सेना रिस्टोर्ड, भारतीय युवा शक्ति, भारतीय जनतांत्रिक पार्टी, भारतीय प्रजा जन पार्टी, ग्रीन पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल बैकवर्ड (मूल) दलित माइनॉरिटीज क्रांति दल, नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी, नया भारत पार्टी, पंच पार्टी, राजस्थान जन सत्ता, राष्ट्रीय अतुल्य युवा पार्टी, राष्ट्रीय मार्क्सवादी दलित लहर पार्टी, राष्ट्रीय साफ नीति पार्टी, सर्वशक्ति दल और शाइनिंग इंडिया पार्टी।

दैनिक नवज्योति jaipur city - 13 Aug 2025 - Page 3

दो फैसले जो डालेंगे सीधा असर

आधार कार्ड को नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकताः सुप्रीम कोर्ट

एसआईआर पर सुनवाई के दौरान किया चुनाव आयोग के स्टैंड का समर्थन

योगेंद्र यादव ने कोर्ट ने पेश किए दो 'मृत' लोग

आयोग ने कहाः फॉर्म भरकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएं

नई दिल्ली। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के स्टैंड का समर्थन करते हुए स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता और इसकी स्वतंत्र जांच जरूरी है।

सुनवाई के दौरान उस समय नया मोड़ आया जब सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने एक महिला और एक पुरुष को कोर्ट में पेश करते हुए दावा किया उन्हें बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 'मृत' घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के चलते बिहार में 65 लाख से अधिक मतदाता प्रभावित हुए हैं। चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान असफल रहा है। भारत में वयस्क आबादी के हिसाब से मतदाता पंजीकरण की दर लगभग 99% है, जो दुनिया में सबसे अच्छी है। एसआईआर प्रक्रिया के बाद यह घटकर 886 रह गई है और आगे और नाम हटने का खतरा है।

यह ड्रामा टीवी स्टूडियो में चल सकता हैः आयोग

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि यह ड्रामा टीवी स्टूडियो में चल सकता है। आयोग ने कहा कि अगर ऐसी गलती हुई है, तो योगेंद्र यादव ऑनलाइन फॉर्म भरकर इसे सुधार सकते थे। वह लोगों को अदालत में लाने के बजाय उनके आवेदन डिजिटल रूप से अपलोड कर दें, ताकि आयोग मामले की जांच कर सके। इस पर जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमें कम से कम इस बात पर गर्व है कि हमारे नागरिक इस कोर्ट में अपनी बात रखने आ रहे हैं।

सजा की अवधि से अधिक समय तक जेल में बंद दोषी को रिहा करेंः सुप्रीम कोर्ट

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि कोई दोषी व्यक्ति सजा की निर्धारित अवधि पूरी करने के बाद भी जेल में बंद है और किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव यादव उर्फ पहलवान को रिहा करने का आदेश देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि यादव ने इस साल मार्च में बिना किसी छूट के 20 साल की सजा पूरी कर ली है। पीठ ने इसके साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिवों को निर्देश दिया कि वे यह पता करें कि कोई दोषी व्यक्ति सजा की निर्धारित अवधि से अधिक समय तक जेल में बंद तो नहीं है। यदि कोई दोषी व्यक्ति किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है और निर्धारित अवधि से अधिक समय तक जेल में बंद हैं तो जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे शीघ्र रिहा किया जाए।

पत्रिका

एसआइआर : सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह ट्रस्ट डेफिसिट

'वोटर लिस्ट में नाम रखना या हटाना ईसी के अधिकार क्षेत्र में'

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि नागरिकता तय करना संसद के अधिकार क्षेत्र में है लेकिन मतदाता सूची में नागरिकों और गैर-नागरिकों को शामिल करना और बाहर करना चुनाव आयोग (ईसी) के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने ईसी के इस तर्क को भी उचित ठहराया कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रामाणिक प्रमाण नहीं है, इसका सत्यापन किया जाना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमॉल्या बागची की बेंच ने बिहार में मतदाता सूचियों के बहुचर्चित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणियां कीं। याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), राजद व अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दिग्गज वकीलों ने मुख्य रूप से दलील दी कि ईसी की ओर से जारी मसौदा मतदाता सूची में बिना किसी कारण के बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे गए और यह पूरी प्रक्रिया गलत है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गरीब जनता के पास ईसी की ओर से अधिकृत बताए गए दस्तावेज नहीं हैं इसका मतलब यह नहीं कि वे भारतीय नागरिक नहीं हैं और उनका मताधिकार छीना जाए। बेंच ने यह तर्क नहीं माना। जस्टिस सूर्यकांत ने इसे एक व्यापक तर्क बताया और कहा कि उनके पास कोई दस्तावेज तो होगा। उन्होंने टिप्पणी की कि यह विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच विश्वास के संकट (ट्रस्ट डेफिसिट) का मामला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मामले की बुधवार को भी सुनवाई होगी।

सितंबर तक भी कर सकते हैं रद्द

वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने सवाल उठाया कि ईसी ने पांच करोड़ लोगों को अमान्य घोषित कर दिया तो क्या होगा? इस मामले में तत्काल दखल की जरूरत है वरना चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर असर पड़ सकता है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम बैठे हैं न, यदि सितंबर के आखिर तक किसी भी स्तर पर अवैधता साबित हो जाती है, तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है।

आधार-राशन कार्ड सत्यापित करना ईसी का काम: याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने तर्क दिया कि आधार व राशन कार्ड से व्यक्ति अपना पता व पहचान साबित करता है, अदालत के आदेश के बावजूद इन दस्तावेजों को नहीं माना जा रहा। इस पर बेंच ने कहा कि ये नागरिकता के प्रमाण नहीं लेकिन इनका आयोग द्वारा सत्यापन किया जाना चाहिए।

त्रुटियां ठीक की जा सकती हैं: ईसी : चुनाव आयोग ने एसआइआर के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 21(3) के तहत उसे मतदाता सूची में संशोधन करने की पूर्ण शक्तियां हैं। अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया में कुछ खामियाँ होना स्वाभाविक हैं, लेकिन 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है।

यादव ने कहा ये जिंदा हैं, मृतक बताकर नाम काटे: याचिकाकर्ता योगेन्द्र यादव ने दो लोगों को पेश किया और कहा कि इन्हें मृत बताकर मतदाता सूची से नाम हटाया गया है। ईसी के वकील राकेश द्विवेदी ने इसे नाटक करार दिया। जस्टिस बागची ने कहा कि यह अनजाने में हुई गलती हो सकती है जिसे सुधारा जा सकता है। सिब्बल ने भी एक मामले का उदाहरण दिया कि निर्वाचन अधिकारियों ने 12 जीवित लोगों को मृत बता दिया। इस पर बेंच ने ईसी से पूछा कितने लोगों की पहचान मृत व्यक्तियों के रूप में हुई है,आपके अधिकारियों ने अवश्य ही कुछ काम किया होगा।

13/08/2025 | Jaipur City | Page : 14
Source : https://epaper.patrika.com/

पत्रिका

विवाद : आइडी में उम्र 124, मिंता बोलीं- तो पेंशन दो

'प्रियंका गांधी कौन, मेरी तस्वीर का इस्तेमाल करने का हक नहीं'

नई दिल्ली. मिंता देवी की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहन विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग से सवाल किए थे, अब मिंता ने उन पर सवाल उठाए हैं।

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

सीवान. बिहार की 35 साल की मिंता देवी अचानक से सुर्खियों में हैं। दरअसल, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों उनकी तस्वीर वाली टी-शर्ट पहना संसद पहुंचे थे। इस पर लिखा था- '124 नॉट आउट'। मिंता देवी की वोटर आइडी में 124 साल की उम्र है। इसके जरिए प्रियंका गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की ओर इशारा किया। अब मिंता देवी प्रियंका गांधी पर ही भड़क गई। उन्होंने कहा, मुझे 2-4 दिन पहले इस बारे में पता चला। वे (विपक्षी सांसद) मेरे लिए कौन हैं? प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेरे लिए कौन हैं? उन्हें मेरी तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनने का अधिकार किसने दिया? ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मैं चाहती हूं कि मेरी जानकारी सही की जाए। जिसने भी जानकारी दर्ज की, क्या उन्होंने ऐसा अपनी आंखें बंद करके किया? अगर मैं सरकार की नजर में 124 साल की हूं, तो वे मुझे वृद्धावस्था पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरे आधार कार्ड में मेरी जन्मतिथि 15-07-1990 दर्ज है।

13/08/2025 | Jaipur City | Page : 14
Source : https://epaper.patrika.com/

दैनिक भास्कर जयपुर 13-08-2025

निर्वाचन आयोग : 18 पार्टियों को नोटिस

छह साल से चुनाव में भाग नहीं लेने पर आयोग सूची से हटाने का निर्णय

जयपुर | राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान की 18 राजनैतिक पार्टियों को पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों सूची से हटाने का निर्णय किया है। फिलहाल इन सभी पार्टियों को नोटिस जारी किए हैं। यह पूछा गया है कि आप राजनीतिक गतिविधियों में भाग क्यों नहीं ले रहे हैं। जवाब के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए दिशा-निर्देश में उल्लेख है कि यदि कोई दल लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है, तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग 2019 से ऐसे पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की पहचान और सूची से हटाने का राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहा है।

प्रदेश की ये है 18 पार्टियां : अखंड समाज पार्टी, अवामी आमजन पार्टी, भारत वन निर्माण पार्टी, भारतीय हिंदू सेना, भारतीय युवा शक्ति, भारतीय जनतांत्रिक पार्टी, भारतीय प्रजा जन पार्टी, ग्रीन पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल बैकवर्ड मूल दलित माइनॉरिटी क्रांति दल, नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी, नया भारत पार्टी, पंच पार्टी, राजस्थान जनसत्ता, राष्ट्रीय अतुल्य युवा पार्टी, राष्ट्रीय मार्क्सवादी दलित लहर पार्टी, राष्ट्रीय सेफ नीति पार्टी, सर्वशक्ति दल, शाइनिंग इंडिया पार्टी।

दैनिक भास्कर जयपुर 13-08-2025

एसआईआर • कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के फैसले को सही ठहराया

आधार-राशनकार्ड नागरिकता के निर्णायक सबूत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

'एसआईआर' भरोसे की कमी का मुद्दा:सुप्रीम कोर्ट

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

बिहार में एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग के आधार कार्ड और राशनकार्ड को शामिल न करने के फैसले को सही ठहराया। अदालत ने कहा कि इन दस्तावेजों को नागरिकता के निर्णायक सुबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके समर्थन में अन्य दस्तावेज भी होने चाहिए। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में थोड़ी-बहुत खामियां रह जाती हैं। यह ड्राफ्ट है। दावे-आपत्तियां मांगी गई हैं। प्रक्रिया पूरा होने का इंतजार करना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि बीएलओ ने कोई काम ही नहीं किया। एक विधानसभा क्षेत्र में ऐसे 12 जीवित लोगों को मृत बताकर उनके नाम काट दिए गए। जबकि कई मृत लोगों के नाम सूची में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसे लोगों की आबादी बेहद सीमित है जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट या पासपोर्ट जैसे नागरिकता संबंधी कोई दस्तावेज हैं।

वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सूची को जानबूझकर नॉन-सर्चेबल बना दिया गया है। जो 65 लाख नाम हटाए गए हैं, उनकी सूची भी नहीं दी गई है कि उनमें से कितने मृत हैं और कितने पलायन कर गए। सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी।

शेष | पेज 10

जिंदा सबूत... योगेंद्र यादव ने मृत बताए वोटर्स को कोर्ट में पेश किया, जज ने उनके तर्क को शानदार बताया

ड्राफ्ट सूची में इन्हें मृत बताया।

• याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा, एक झटके में बिहार में योग्य वयस्कों का प्रतिशत 88% तक गिर गया है। केंद्र सरकार के अनुमान के अनुसार बिहार की वयस्क आबादी 8.18 करोड़ है। सूची में भी इतने ही होने चाहिए। यानी 29 लाख कम हैं। एसआईआर का मकसद इन्हें शामिल करना होना चाहिए। यह पहला संशोधन अभ्यास है, जहां शून्य वृद्धि हुई और केवल नाम हटाए जा रहे हैं। क्या आयोग को एक भी व्यक्ति नहीं मिला, जिसे शामिल किया जाना चाहिए था?

• यादव ने कहा, इस कवायद से कई उम्मीदवार भी बाहर हो सकते हैं। हटाई गई महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। महिलाओं की मृत्यु दर पुरुषों से अधिक नहीं है और अधिकांश प्रवासी मजदूर पुरुष हैं। ऐसे में महिलाओं के नाम कटने की दर अधिक होना चौंकाता है।

• ऐसे विश्लेषण पर जस्टिस कांत ने कहा, थैंक्यू, मि. यादव। बेहद प्रभावी विश्लेषण है। इसके बाद यादव ने दो लोगों को दिखाते हुए कहा, इन्हें मृत बता दिया गया और ड्राफ्ट में इनका नाम हटा दिया गया? इस पर द्विवेदी ने कहा- अब कोर्ट में यह क्या नाटक होने लगा?

35 की मिंता को 124 की बताया, कांग्रेस का प्रदर्शन

• इंडिया ब्लॉक के कई सांसदों ने मंगलवार को संसद परिसर में मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ प्रदर्शन किया। सांसदों ने सफेद टी-शर्ट पहनी थी। इस पर आगे वोटर लिस्ट में शामिल 124 वर्षीय मिंता देवी का नाम और फोटो छपा था। सिवान की मिंता देवी की असल उम्र 35 साल है, जबकि लिस्ट में उनकी उम्र 124 साल लिखी है।

• मिन्ता देवी ने कहा, ऑनलाइन आवेदन किया था। आधार में तारीख सही है। आयोग की गलती है।